

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मांग संख्या 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(₹ करोड़)

|   | वास्तविक 2015-2016 |             |                | बजट 2016-2017  |              |                | संशोधित 2016-2017 |              |                | बजट 2017-2018  |              |                |
|---|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|   | राजस्व             | पूंजी       | जोड़           | राजस्व         | पूंजी        | जोड़           | राजस्व            | पूंजी        | जोड़           | राजस्व         | पूंजी        | जोड़           |
| <b>कुल</b>  | 4171.39            | 7.01        | 4178.40        | 4724.83        | 28.00        | 4752.83        | 4731.82           | 28.00        | 4759.82        | 4767.49        | 28.25        | 4795.74        |
| <i>वसूलियां</i>                                     | -0.36              | ...         | -0.36          | ...            | ...          | ...            | ...               | ...          | ...            | ...            | ...          | ...            |
| <i>प्राप्तियां</i>                                  | ...                | ...         | ...            | ...            | ...          | ...            | ...               | ...          | ...            | ...            | ...          | ...            |
| <b>निवल</b>   | <b>4171.03</b>     | <b>7.01</b> | <b>4178.04</b> | <b>4724.83</b> | <b>28.00</b> | <b>4752.83</b> | <b>4731.82</b>    | <b>28.00</b> | <b>4759.82</b> | <b>4767.49</b> | <b>28.25</b> | <b>4795.74</b> |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है  |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| <b>केंद्र का व्यय</b>                               |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| <b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>                      |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 1. सचिवालय  | 25.15              | ...         | 25.15          | 30.23          | ...          | 30.23          | 31.58             | ...          | 31.58          | 33.44          | ...          | 33.44          |
| 2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान                         | 226.01             | ...         | 226.01         | 268.81         | ...          | 268.81         | 268.81            | ...          | 268.81         | 282.15         | ...          | 282.15         |
| 3. <i>संबद्ध कार्यालय</i>                           |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 3.01 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन                       | 35.46              | ...         | 35.46          | 44.45          | ...          | 44.45          | 47.28             | ...          | 47.28          | 50.32          | ...          | 50.32          |
| 3.02 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय             | 249.85             | ...         | 249.85         | 289.34         | ...          | 289.34         | 292.15            | ...          | 292.15         | 311.55         | ...          | 311.55         |
| <i>जोड़- संबद्ध कार्यालय</i>                        | <i>285.31</i>      | ...         | <i>285.31</i>  | <i>333.79</i>  | ...          | <i>333.79</i>  | <i>339.43</i>     | ...          | <i>339.43</i>  | <i>361.87</i>  | ...          | <i>361.87</i>  |
| <b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>                 | <b>536.47</b>      | ...         | <b>536.47</b>  | <b>632.83</b>  | ...          | <b>632.83</b>  | <b>639.82</b>     | ...          | <b>639.82</b>  | <b>677.46</b>  | ...          | <b>677.46</b>  |
| <b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>      |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना                | 3502.00            | ...         | 3502.00        | 3950.00        | ...          | 3950.00        | 3950.00           | ...          | 3950.00        | 3950.00        | ...          | 3950.00        |
| 5. <i>क्षमता का विकास</i>                           |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 5.01 क्षमता निर्माण सीएसओ और एनएसएसओ                | 81.91              | 7.01        | 88.92          | 106.50         | 28.00        | 134.50         | 106.50            | 28.00        | 134.50         | 109.93         | 28.25        | 138.18         |
| 5.02 आर्थिक गणना                                    | 11.01              | ...         | 11.01          | 5.50           | ...          | 5.50           | 5.50              | ...          | 5.50           | 0.10           | ...          | 0.10           |
| 5.03 सांख्यिकीय मजबूती के लिए सहायता                | 40.00              | ...         | 40.00          | 30.00          | ...          | 30.00          | 30.00             | ...          | 30.00          | 30.00          | ...          | 30.00          |
| <i>जोड़- क्षमता का विकास</i>                        | <i>132.92</i>      | <i>7.01</i> | <i>139.93</i>  | <i>142.00</i>  | <i>28.00</i> | <i>170.00</i>  | <i>142.00</i>     | <i>28.00</i> | <i>170.00</i>  | <i>140.03</i>  | <i>28.25</i> | <i>168.28</i>  |
| <b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b> | <b>3634.92</b>     | <b>7.01</b> | <b>3641.93</b> | <b>4092.00</b> | <b>28.00</b> | <b>4120.00</b> | <b>4092.00</b>    | <b>28.00</b> | <b>4120.00</b> | <b>4090.03</b> | <b>28.25</b> | <b>4118.28</b> |
| <b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>                |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| <b>अन्य</b>   |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 6. वास्तविक वसूलियां                                | -0.36              | ...         | -0.36          | ...            | ...          | ...            | ...               | ...          | ...            | ...            | ...          | ...            |
| <b>कुल जोड़</b>                                     | <b>4171.03</b>     | <b>7.01</b> | <b>4178.04</b> | <b>4724.83</b> | <b>28.00</b> | <b>4752.83</b> | <b>4731.82</b>    | <b>28.00</b> | <b>4759.82</b> | <b>4767.49</b> | <b>28.25</b> | <b>4795.74</b> |

(₹ करोड़)

|  | वास्तविक 2015-2016 |             |                | बजट 2016-2017  |              |                | संशोधित 2016-2017 |              |                | बजट 2017-2018  |              |                |
|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|  | राजस्व             | पूंजी       | जोड़           | राजस्व         | पूंजी        | जोड़           | राजस्व            | पूंजी        | जोड़           | राजस्व         | पूंजी        | जोड़           |
| <b>ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं</b>             |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं                        | 5.99               | ...         | 5.99           | 6.97           | ...          | 6.97           | 6.97              | ...          | 6.97           | 7.40           | ...          | 7.40           |
| <b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>                       | <b>5.99</b>        | <b>...</b>  | <b>5.99</b>    | <b>6.97</b>    | <b>...</b>   | <b>6.97</b>    | <b>6.97</b>       | <b>...</b>   | <b>6.97</b>    | <b>7.40</b>    | <b>...</b>   | <b>7.40</b>    |
| <b>आर्थिक सेवाएं</b>                             |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना             | 3502.00            | ...         | 3502.00        | 3950.00        | ...          | 3950.00        | 3950.00           | ...          | 3950.00        | 3950.00        | ...          | 3950.00        |
| 3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं                        | 19.16              | ...         | 19.16          | 23.26          | ...          | 23.26          | 24.61             | ...          | 24.61          | 26.04          | ...          | 26.04          |
| 4. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी                 | 593.05             | ...         | 593.05         | 684.59         | ...          | 684.59         | 690.23            | ...          | 690.23         | 759.25         | ...          | 759.25         |
| 5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय   | ...                | 7.01        | 7.01           | ...            | 28.00        | 28.00          | ...               | 28.00        | 28.00          | ...            | 28.25        | 28.25          |
| <b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>                        | <b>4114.21</b>     | <b>7.01</b> | <b>4121.22</b> | <b>4657.85</b> | <b>28.00</b> | <b>4685.85</b> | <b>4664.84</b>    | <b>28.00</b> | <b>4692.84</b> | <b>4735.29</b> | <b>28.25</b> | <b>4763.54</b> |
| <b>अन्य</b>                                      |                    |             |                |                |              |                |                   |              |                |                |              |                |
| 6. पूर्वोत्तर क्षेत्र                            | ...                | ...         | ...            | 30.00          | ...          | 30.00          | 30.00             | ...          | 30.00          | 24.80          | ...          | 24.80          |
| 7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान                | 50.90              | ...         | 50.90          | 30.01          | ...          | 30.01          | 30.01             | ...          | 30.01          | ...            | ...          | ...            |
| 8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | -0.07              | ...         | -0.07          | ...            | ...          | ...            | ...               | ...          | ...            | ...            | ...          | ...            |
| <b>जोड़-अन्य</b>                                 | <b>50.83</b>       | <b>...</b>  | <b>50.83</b>   | <b>60.01</b>   | <b>...</b>   | <b>60.01</b>   | <b>60.01</b>      | <b>...</b>   | <b>60.01</b>   | <b>24.80</b>   | <b>...</b>   | <b>24.80</b>   |
| <b>कुल जोड़</b>                                  | <b>4171.03</b>     | <b>7.01</b> | <b>4178.04</b> | <b>4724.83</b> | <b>28.00</b> | <b>4752.83</b> | <b>4731.82</b>    | <b>28.00</b> | <b>4759.82</b> | <b>4767.49</b> | <b>28.25</b> | <b>4795.74</b> |

करने के लिए जिम्मेदार है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों की एजेन्सीज की ओर से भी आंकड़ों के संग्रहण एवं सारणीयन का कार्य भी करता है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्थापना खर्च के लिए है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एवं आदरणीय राज्य मंत्री कार्यालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध जिसमें वीस सूत्री कार्यक्रम, एमपीलैंड्स और आईपीएमडी के खर्च भी शामिल हैं, के व्ययों हेतु प्रावधान किया गया है।

2. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान:** भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि एक स्वतंत्र संस्थान है और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट्स के तहत रजिस्टर्ड है, को ग्रांट-इन-एड के तहत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान है।

3. **संबद्ध कार्यालय:** मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय जिसे केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं एवं एक अधीनस्थ कार्यालय, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, कार्यरत हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गैर-योजना खर्चों का प्रावधान है जो कि मानकीकरण, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली कैटीन के खर्चों को भी वहन करती है। इसके अलावा यह आईआरएनआईडब्ल्यू के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं ग्रांट-इन-एड देती है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के गैर-योजना खर्चों का भी प्रावधान है जो कि आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक बुनियादी एवं समुचित रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास

4. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना:** यह प्रावधान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए है और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में शामिल है।

5. **क्षमता का विकास:** क्षमता विकास, सी एस ओ और एन एस एस ओ की बजट संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है और आर्थिक गणना तथा सांख्यिकीय सुदृढीकरण नामक दो उप-स्की मों को भी सहायता प्रदान करता है।

5.01 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के लिए प्रावधान किया गया है जो मानकीकरण, राष्ट्रीय लेखे तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रकाशित करने और भारत में सांख्यिकी प्रणाली के आधुनिकीकरण आदि के रीति विधान कार्यों सहित कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार है, जिसका संबंध आंकड़ा संग्रहण के लिए एक समुचित तथा बुनियादी रूप से जुड़े कार्यक्रम का विकास करने से है जो नीति निर्माण के लिए सांख्यिकी में आंकड़ा अंतराल को भरने के लिए बनाया गया है। यह आंकड़ों के अनुपूरक संग्रहण के द्वारा अन्य मंत्रालयों एजेंसियों की ओर से आंकड़ों के संग्रहण और सारणीयन का कार्य भी करता है। इसमें संगणक केन्द्र के लिए भी प्रावधान है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आंकड़ा संसाधन आवश्यकताओं की देखरेख का कार्य करता है।

5.02 इसमें आर्थिक जनगणना संबंधी खर्चों का प्रावधान है।

5.03 इसमें सांख्यिकीय सुदृढीकरण की सहायता का प्रावधान है।